इ–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0डी0 केश नं0– 68 / 16–17

शेख दुखन बनाम् रैयान, मौजा–सामुकिता

(7)

3-7-18

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है।

आवेदक शे0 दुखन, पे0–स्व0 शे0 जमतुल्ला, सा0–सामुकिता, थाना– महागामा, जिला–गोड्डा द्वारा प्रधान शे0 गौहर, पे0–स्व0 शे0 जमतुल्ला को प्रधान पद से बरखास्त करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा–सामुकिता का प्रधान शे0 गौहर को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–112 / 69–70 द्वारा नियुक्त किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–60 (2) के अनुसार कमिश्नर के अधीनस्थ कोई अफसर, किसी आदेश का जिसे उसके स्वंय दिया हो अथवा उसके पूर्वाधिकारी ने दिया हो पुनर्निरीक्षण नहीं करेगा पर अपवाद यह है कि लिपिक–विभ्रम अथवा अन्याय भूल–चूक का शोधन जो स्पष्टतः अनवधानता के कारण हो, कर सकता है बिना पूर्व अनुमति लिये–

(क) डिप्टी कलक्टर अथवा सबडिवीजनल अफसर की दिशा में डिप्टी कमिश्नर का; और

(ख) डिप्टी कमिश्नर अथवा अपर डिप्टी कमिश्नर की दिशा में कमिश्नर का।

नियमानुसार एक बार अनुमंडल न्यायालय से विचारण के उपरांत पुनः उस पर विचारण करना अधिनियम की धारा–60 के प्रतिकूल है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।